२०रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

१०रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

30

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

प्र0क्र0 -दो/2016 निगरानी निग -2025- II/16

1- दयाराम पुत्र श्रीपत जाति नाडिया

2- रामसिंह पुत्र बैताल सिंह यादव

3- श्रीमती पार्वती (मृतक) पत्नि रामप्रसाद अडियल
वारिस बीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद अडियल

4- बृजलाल पुत्र मगनलाल बैमटे

5-मोहित पुत्र आजाद यादव

6- नंदकिशोर पुत्र घासीराम जाटव

7- गिरीश पुत्र मूलचंद गोस्वामी

8- देवीसिंह , वृखा, रामदास
पुत्रगण हरभान गड़रिया

9- कु0मीना पुत्री जगदीश खँगार

10-बाबरिया पुत्र बंशीलाल जाटव

11-मोमराज पुत्र मनोहरीलाल जाटव

12-पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सरमान सिंह यादव

13-खेरूराम पुत्र चिंटूराम यादव

सभी निवासी ग्राम उटवाहा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1-मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

2-नायब तहसीलदार , वृत्त दिनारा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - नायब तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 7-6-2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030---2

...(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2025-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

...तथा ...मांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्षर
24.6.16	यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनॉक 7-6-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ प्रकरण का सारॉश है कि निम्नानुसार कृषक शासकीय अभिलेख में वर्ष 1992-93 में दिये गय पट्टों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज चले आ रहे हैं :-

क0	नाम कृषक	स0क0	रकबा है.में
1-	दयाराम पुत्र श्रीपत नाडिया	141/9	2.00
2-	रामसिंह पुत्र वेतालसिह यादव	140/1	1.05
3-	श्रीमती पार्वती(मृतक)पत्नि रामप्रसाद वारिस बीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद	141/8	2.00
4-	बृजलाल पुत्र मगनलाल बैमटे	141/6	2.00
5-	मोहित पुत्र आजाद यादव	141/11	1.22
6-	नंदकिशोर पुत्र घासीराम जाटव	141/7	2.00
7-	गिरीश पुत्र मूलचंद गोस्वामी	141/2	3.00
8-	देवीसिंह, वृखा, रामदास पुत्रगण हरभान गड़रिया	141 मिन	2.00
9-	कु0मीना पुत्री जगदीश खॅगार	141/5	2.00
10-	बाबरिया पुत्र बंशीलाल जाटव	141/1	2.00
11-	मोमराज पुत्र मनोहरी जाटव	141/10	1.70
12-	पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र सरमान यादव	141/12	1.00
13-	खेरूराम पुत्र चिन्टूराम यादव	141 मिन	2.00

प्र0क0 2025-दो/2016 निगरानी

उपरोक्त कृषकों को नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा ने कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25-1-16 जारी किया एंव प्र0क0 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दि0 7-6-2014 से म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 115,116 के तहत वादग्रस्त भूमियों को शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक तथा शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तत्कालीन तहसीलदार करैरा ने आवेदकगण को वर्ष 1992-93 में विधिवत् पटटै प्रदान किये है पटटा प्रदान करने के वाद राजस्व निरीक्षक/पटवारी ने मौके पर सीमांकन करके कब्जा दिया है। सभी आवेदकगणों के प्रकरण दायर पंजी में दर्ज है। पटटा प्राप्ति के वाद से आवेदकगण भूमिस्वामी की हैसियत से शासकीय अभिलेख में निरन्तर दर्ज हैं। तहसील कार्यालय से सभी पटटाग्रहीताओं को भू अधिकार ऋण पुस्तिकायें प्रदान की है। नायव तहसीलदार व्दारा लगभग 25 वर्ष वाद जाकर फर्जी पटटे एंव शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि करना उल्लेखित कर आवेदकगण की भूमि शासकीय घोषित करने में त्रृटि की है उन्होंने निगरानी स्वीकर करने की मांग की।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2025-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्षर

सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु आवेदकगण अपने पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण नायव तहसीलदार ने पटटा वितरण की कार्यवाही संदिग्ध मानी है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय करैरा से दायरा रजिस्टर वर्ष 1992-93 की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की गई है जिसके सरल कमांक 38 से 42 पर 243,245,246, 295,297 पर आवेदकगण के पटटों के प्रकरण दायर है। अतः नायव तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 7-6-16 के पद 6 में यह अंकित करना कि प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज तो है किन्तु उनके प्रकरण न्यायालय में नहीं पाये गये, जिससे प्रविष्टि प्रथम दृष्टया अवैध होना प्रतीत होती है। नायव तहसीलदार यह निष्कर्ष उचित नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 114- शासकीय रिकार्ड अथवा अभिलेख अद्यतन एंव सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की है रिकार्ड अद्यतन न रखने का खामियाजा कृषकों को नहीं भुगताया जा सकता।
2. खसरा प्रविष्टि में भूमिस्वामी की प्रविष्टि निरन्तर - उसके सही होने की उपधारणा की जायेगी - जब तक अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाय।

प्र.क. 2025–दो/2016 निगरानी

विचाराधीन प्रकरण में आवेदकगण को जारी पटटो के प्रकरण दायरा रजिस्टर में पंजीबद्ध होना प्रमाणित है । तहसील के दायरा रजिस्टर में कृषक फर्जी प्रविष्टि कर सकेगा, संभव नहीं है क्योंकि वर्ष 1992–93 से निरन्तर वर्ष 2015–16 तक उपरोक्त कृषकगण खसरा में भूमिस्वामी की हैसियत से है ऐसे कृषकों के अधिकार छीने नहीं जा सकते। इस सम्बन्ध नायव तहसीलदार ब्दारा आदेश दिनांक 7–6–16 में निकाला गया निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत एंव त्रृटिपूर्ण है।

6/ प्रकरण में यह भी विचार योग्य है कि क्या आवेदकगण के हित में प्रकरण कमांक 38 से 42 , 243,245, 246, 295,297 अ–19/1992–93 से जारी किये गये पटटे एंव आवेदकगण के नाम वर्ष 1992–93 से वर्ष 2015–16 तक खसरों में निरन्तर भूमिस्वामी की हैसियत से चली आ रही प्रविष्टि को लगभग 25 साल वाद नायव तहसीलदार पटटा आदेश एंव प्रविष्टि निरस्त करने हेतु सक्षम हैं।

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 50– तत्का. तहसीलदार ब्दारा जारी पटटा आदेश – समकक्ष अधिकारी को पटटा निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 115– लगभग 25 साल पूर्व तहसीलदार ने पटटा आदेश दिये, तद्नुसार पटटों का अमल शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी की हैसियत निरन्तर अभिलिखित – नायव तहसीलदार संहिता की धारा 115 के अधीन 25 वर्ष वाद प्रविष्टि दुरूस्त करने हेतु सक्षम नहीं है।

प्रकरण में आये अभिलेख से पाया गया कि आवेदकगण

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2025–दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	के हित में उनके खाते की भूमियों पर तहसीलदार व्दारा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिकायें जारी की हैं जो प्रमाण में प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि 25 वर्ष से शासकीय अभिलेख में निरन्तर दर्ज चले आ रहे भूमिस्वामियों की भूमि को नायव तहसीलदार ने शासकीय दर्ज करने के आदेश पारित करने में भूल की है।	
	7/ नायव तहसीलदार वृत्त–2 दिनारा के प्रकरण कमांक 21/2014–15 अ–6–अ के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने वर्ष 2014–15 में आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, तब उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस इस प्रकरण नम्बर से जारी न करते हुये कमांक क्यू/रीडर/फर्जी प्रविष्टि/पटटे/जॉच/2015 दिनांक 25–1–16 से क्यों जारी किये है शासन के पैनल लायर समाधान नहीं करा सके। इस प्रकार नायव तहसीलदार व्दारा आवेदकगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि एंव प्रकिया अनुसार नहीं है जिसके आधार पर नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 7–6–16 संदेह की परिधि है।	
	8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण ने वर्ष 1992–93 में पटटा प्राप्ति के बाद वादग्रस्त भूमि को उबड़ खाबड़ से समतल बनाया है एंव	

सिंचाई के साधन किये है तथा खेतों पर मेड़े बनाकर बंधान आदि भी बनाने में काफी धन व श्रम खर्च किया है । उन्होंने यह भी बताया कि नायव तहसीलदार के कहने पर राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने चालू वर्ष में भूमि को हॉकने–जोतने नहीं दी एंव फसल बुबाई रोक देने से भूमि पड़त करवा दी। यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. बबीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2. याची व्दारा 2 हैक्टर भूमि आवंटन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया, 13–14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई। म0प्र0 उच्च न्यायालय व्दारा अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी क. 1, 2 को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने निर्णय देने में त्रृटि की है। काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008(1) **MPLJ 282 (M.P.)= 2008 (1) M.P.H.T. 170**
3. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – क्योंकि

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2025-दो/2016 निगरानी जिला शिवपुरी

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियाँ की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

4. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके 1975 **J.L.J. 155= 1975 R.N. 67 = 1975 R.N. 208** में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदकगण वर्ष 1992-93 से वर्ष 2015-16 तक शासकीय अभिलेख में निरन्तर भूमिस्वामी दर्ज चले आ रहे है क्योंकि पटटा प्राप्ति उपरांत 10 वर्ष तक निरन्तर खेती करने एंव पटटे की शर्तो का पालन करने के कारण वह रिकार्डेड भूमिस्वामी अंकित हुये है जिसके कारण आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के उपयोग हेतु प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र हैं एंव ऐसे कृषकों के अधिकारों में दखलन्दाजी करना उचित नहीं है। परन्तु नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा ने प्रकरण कमांक 21/2014-15 अ-6-अ में आदेश दिनांक 7-6-16 पारित करते हुये उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार

प्र0क0 2025-दो/2016 निगरानी

वृत्त -2 दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 7-6-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकगण के नाम की शासकीय अभिलेख में चली आई भूमिस्वामी वावत् प्रविष्टि पूर्ववत् दर्ज कराई जाय।

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 2025–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
03–01–17	न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 2025–दो/2016 में पारित आदेश दिनॉक 24–6–2016 में पक्षकारों के नाम के सरल कमांक 13 पर अंकित नाम " खेरूराम पुत्र चिंटूराम " का उपनाम यादव भूल से लिखे जाने एंव वास्तविक उपनाम जाटव होना बताते हुये आवेदकगण के अभिभाषक ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर टंकित त्रृटि सुधार करने का अनुरोध किया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा समक्ष में उपस्थित होकर टंकण त्रृटि होना स्वीकार करते हुये भूल सुधार का निवेदन किया गया है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि निगरानी प्रकरण कमांक 2025–दो/2016 में पारित आदेश दिनॉक 24–6–2016 में पक्षकारों के नाम के सरल कमांक 13 पर अंकित नाम " खेरूराम पुत्र चिंटूराम यादव " के बजाय खेरूराम पुत्र चिंटूराम जाटव पढ़ा जावे। सदस्य